13.09.2013 उपअभिलेखागार से तलब की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक ..18-10-19.. को पेश हो।

9/10/19 पत्रावली पेशी से गिरकर आज पुनः न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। चूंकि राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 किसी प्रार्थी का संपरिवर्तन शुल्क जमा करवाये जाने के अभाव में संपरिवर्तन आवेदन खारिज होने पर प्रार्थी को पुनः आवेदन करने से निवारित नहीं करता। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रार्थी श्री शामलाल पुत्र पोकरराम को प्रार्थनापत्र में उल्लिखित भूमि के संपरिवर्तन हेतु पुनः आवेदन करने की अनुमति देता है।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर तकमील होकर रिकार्ड में जमा हो।

9/10/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:09:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner